

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936

No. 601

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 63(अ).— केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीज अधिनियम, 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीज (संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

बीज अधिनियम, 1968 में "प्ररूप 1 से 8" प्ररूपों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररूप 1

(देखें नियम 15)

(प्रमाणीकरण अभिकरण द्वारा अनुदान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन)

- 1. (क) नाम
 - (ख) पता
 - (ग) फोन नं.
 - (घ) ई-मेल आईडी
- 2. खेत का सही अवस्थान
- प्रमाणीकरण के लिए प्रस्थापना की जाने वाली फसलों और बीज की किस्मों के नाम

- प्रमाणीकरण के लिए प्रस्थापना की जाने वाली प्रत्येक फसल और किस्म के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र
- 5. उत्पादित आधार/प्रमाणित बीज की वांच्छित श्रेणी
- 6. उपरोक्त 5 मदों के लिए बीज का साधन (टैग नं. और टैग पर अन्य विशिष्टाएं भी दर्शाएं)
- 7. "पृथकत्व दूरी" (मीटर में) एक ही फसल की अन्य किस्मों से
- 8. रोपण की वास्तविक या प्रस्तावित तारीख

हस्ताक्षर दिनांक

प्ररूप 2 (देखें नियम 17) (प्रमाण पत्र)

बीज प्रमाणीकरण अभिकरण का ना	म	
टैग नंबर		
फसल	किस्म	
लॉट नं		
	· % % से कम ना	
परीक्षण की तारीख ,		
प्रमाणीकरण	तक विधिमान्य	01959
न्यूनतम शुद्ध बीज %		
आंतरिक सामग्री	% से अधिक नहीं	%
खरपतवार बीज (अधिकतम) %		HOE TON
अन्य फसल बीज	से अधिक नहीं	%
उत्पादक (ना	म और पूरा पता)	A 74 May
1 		
बीज की श्रेणी		

निदेशक बीज प्रमाणीकरण अभिकरण

कृपया ध्यान रखें:

- 1. आधार बीज के लिए सफेद टैग का उपयोग किया जाएगा।
- 2. प्रमाणित बीज के लिए नीले टैग का उपयोग किया जाएगा।
- 3. ठंडे शुष्क वातावरण के अंतर्गत संग्रहित किए गए उपलब्ध कराए गए बीज पर लगे टैग पर दर्शाए गए समय के लिए प्रमाणीकरण विधिमान्य होगा।

प्ररूप 3

सेवा	में (देखें नियम 27)
	(विक्रेता नाम और पता)
का उल	
का ता	मैं एतद्वारा आपको बीज अधिनियम, 1966 की धारा 14 की उपधारा (1) की धारा (ग) के अधीन यह निदेश देता हूं कि उक्त स्टाक रीख से निस्तारण न किया जाए और निम्नलिखित कमियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाए :-
	बीज भंडार का ब्यौरा
	क्षेत्र
दिनाक -	х €ч 4
सेवा में	(देखें नियम 28) (अभिग्रहण अभिलेख की रसीद के लिए प्ररूप)
	(विक्रेता नाम और पता)
 ाभिलेख	कीज अधिनियम, 1966 की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपबंधों के अधीनके परिसर में स्थित में
गान	बीज निरीक्षक
नांक	

प्ररूप 5 (देखें नियम 29) (बीज विश्लेषक का ज्ञापन)

	while the med modern to be the big to	

नेवा में		
		ALCO VICTORIA
बीज विश्लेषक	a Just per a few or to the a contract of the re-	
0.2 0.2 0.0		
नाच वणित नमून को बीज के खंड 15 के अधीन परीक्षण और विश्	अधिनियम, 1966 की धारा (ग) की उपधारा (1) के खंड 14 और/	या खंड (ख) और (ग) के उप-खंड (
तमूने की क्रम संख्या	रलपण का लए मजा जाता हा	
संग्रहण की तारीख और स्थान		
विश्लेषण/परीक्षण के लिए प्रस्तुत साम		
 नमूने के पैकेट को मुहरबंद क मेजी जा रही है 	रने के लिए प्रयुक्त की गई मुहर के ज्ञापन और नमूना छाप की एक	प्रात डाक द्वारा/दस्ता रूप स अलग
		बीज निरीक्ष
the sales		8
तारीख		
• जो लागू नहीं उसे काट दें।		
	प्ररूप 6	
	प्ररूप ठ (देखें नियम 34) (नमूना लेने के लिए सूचना)	
	(देखें नियम 34)	
नेवा में	(देखें नियम 34)	
	(देखें नियम 34)	
नेवा में	(देखें नियम 34)	
सेवा में (विक्रेता नाम और पता) 	(देखें नियम 34) (नमूना लेने के लिए सूचना) 	
सेवा में (विक्रेता नाम और पता) 	(देखें नियम 34)	ता हूं।
सेवा में (विक्रेता नाम और पता) 	(देखें नियम 34) (नमूना लेने के लिए सूचना) 	ता हूं। बीज निरीक्ष
सेवा में (विक्रेता नाम और पता) 	(देखें नियम 34) (नमूना लेने के लिए सूचना) 	

प्ररूप 7	
(देखें नियम 3	35)
(बीज विश्लेषक द्वारा परीक्षण और/या	विश्लेषण का प्रमाण पत्र)
प्रमाणित किया जाता है कि नमूना (नमूने) दर्शित संख्या -	
तथाकथित संख्या ज्ञा के ऐसे परीक्षण/विश्लेषित परिणाम नीचे दर्शाए गए हैं:-	ापन सं दिनांक
	A series of the
2. पैकेट और बाहरी मुहरबंद की रसीद पर सील की स्थिति इस प्रकार ध	थी –
1800	
3. टिप्पणियां, यदि कोई हो	
	, बीज विश्लेषक
	, नाम मिरसानम्
स्थान	
तारीख	
प्ररूप 8	
(देखें नियम 39	
(बीज नमूना लेने के लि	ए ज्ञापन)
सेवा में	
4	the state of the s
मैं, आज परिसर में स्थित से	लिए गए नीचे निर्दिष्ट बीज नमूने बीज विश्लेषक द्वारा किए
गए परीक्षण/विश्लेषण हेतु लिए हैं।	
	Care of send desired as began been to send
लिए गए नमूनों का ब्यौरा	
नमूने की लागत की मांग क्या है ? नमूने की लागत	
भुगतान की गई रकम	
3 131 14 14 744	
	बीज निरीक्षक क्षेत्र
तारीख	वान
	new areas and a state
पक्ष के हस्ताक्षर जिसके परिसर से नमूने लिए गए और भुगतान किया गया	
	[फा. सं. 13-49/2014-एसडी. IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप खंड (ii) सं. सा.का.नि. 1632, तारीख 29 अगस्त, 1968 और पश्चात् संशोधित सं. सा.का.नि. 329(अ), तारीख 30 जून, 1973; सा.का.नि. 211(अ), तारीख 29 अप्रैल, 1975; सा.का.नि. 52(अ), तारीख 30 जनवरी, 1976 और सा.का.नि. 389(अ), तारीख 10 जून, 1981 में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE (Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

G.S.R. 63(E).-In exercise of the powers conferred by section 25 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Seed Rules, 1968, namely:-

1. (1) These rules may be called the Seeds (Amendment) Rules, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Seed Rules, 1968, for "Form I to VIII" the following forms shall be substituted, namely:-

"FORM I

(See rule 15)

(Application for grant of certificate by seed certification agency)

- 1. (a) Name
 - (b) Address
 - (c) Phone number
 - (d) E-mail ID
- 2. Exact location of farm
- 3. Names of crops and varieties of seed offered for certification.
- 4. Area under each crop and variety offered for certification.
- 5. Class of seed desired to be produced Foundation/Certified.
- 6. Source of seed for item 5 above (also mention Tag number and other particulars on the tag).
- 7. "Isolation distance" (in meters) from other varieties of the same crop. North to South: East to West.
- 8. Actual or proposed date of planting.

Signature

FORM II

(See rule 17)

d	-							
ı		Δ	-	4;	£	00	te)	
ŧ	-	C		ш	и	cа	Le i	

	(Cert	ificate)		
Name of the Sand Cortific	Charter to star			
Tag number	ation Agency			
Crop	Variety			
Lot number	variety			
Ochimiation	% Not below %			
Date of test				
Minimum pure seed %	to the state of the		pale state of the	
Weed seeds (Max) %	% Not more than	%		
Other even and				
Producer	Not more than	%		
rioducer	(Name and full address)			
Class of seed				
-67-				Director
			Soud Co	
N.B.:-		-	Seed Cel	rtification Agency
1. A white tag shall be used	for foundation seed.			
2. A blue tag shall be used f	or certified seed			
Certification shall be valid	d for the period indicated on the tag	provided seed is stored		
	- I was the tag	provided seed is stored	under cool dry envi	ronment.
	FORM	ım		94
	(See rui			
	(See rui	621)		
То				
(Name and addre	ess of the vendor)			
Whereas I have re	coop to believe deed			
provisions of section 6 of the	eason to believe that the stock of	seeds in your possess	sion detailed below	contravenes the
providents of section of the	Seeds Act, 1966.			
I hereby direct your	under alarma () C 1			and the second section
stock for a period of from the	under clause (c) of sub-section (1) o	f section 14 of the Seed	ls Act, 1966 not to d	lispose of the said
the following defects:-	1IS	1000 A	date and take	action to remove
the following defects:-				
		and the second		
	but a defined to the a believe of	they have not marked		
	Details of stoc	k of seeds		
And the second				
Place			Seed Inspector	
Date			occu inspector	

Area

FORM IV

(See rule 28)

(Form of receipt for seizure of records)

То					
	(Name and	address of the vend	lor)		
The records	detailed below have this day beeds Act, 1966 from the premise	peen seized by me	under the provisions	s of clause (d) of	sub-section (1) of section situated at
		D. II.			in the second second
		Details of re	cords seized		probo
					2
Place					
Date					
					Seed Inspector Area
			and the latin		
		FORM (See run (Memorandum to	le 29)		
From:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
То	The Seed Analyst				
	The Seed Analyst				
	escribed below is sent herewith (c) of sub-section (2) of section er of the sample.	n for test and analy n 15 of the Seeds A	vsis under clause (b Act, 1966.	o) of sub-section	(1) of section 14 and/or
Date and pla	ace of collection.				
2. A copy of to post/hand.*	e articles submitted for analysis his memo and specimen impre	strest.	sed to seal the pack	ket of sample is 1	being sent separately by
Date					
					Seed Inspector Area
Strike out whi	ichever is not applicable				

FORM VI

	(See rule 34)	
	(Notice for drawing samples)	
То	eje gama kees to regalescrib internet control seeds	
	(Name and address of the vendor)	
I hereby give you the notice of n	ny intention of taking a sample of seed from your stocks	for the purposes of tests or
analysis.		
	Beatly of security of	
Date		0.17
		Seed Inspector Area
	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	
	FORM VII	
	(See rule 35)	*
(Continue		
	ate of test and/or analysis by the Seed Analyst)	
Certified that the sample(s)	bearing number purportin	g to be a sample of
received on		dated
results of such test(s)/anal	lysis is/are as stated below.	duted
	Francisco Property Comment	
	aftern because	
. The condition of the seals on the packet	and the outer covering on receipt was as follows.	
	the country of both margarilla. It is not being the	
	The state of the s	
Remarks, if any.		
ace		
	Seed Anal	yst
ate		

FORM VIII

(See rule 39)

То	(Memorandum for drawing	the seed sample)
I have this day taken from	the premises of	situated at
samples of seeds specified below to	have the same tested/analysed by	Seed Analyst.
	Details of samples	taken
	• 1	
	-	
Whether cost of sample demanded?		
Cost of sample:		
Amount paid:		reduces award bringing to 10 10 millions
Partiel Control of the Control of th		
Date		
	*	Seed Inspector
ignature of the party from whose		
remises samples taken and paymen	nt made."	
		[F. No. 13-49/2014-SD.IV]
ote: The principal rules were publi	ished in the Gazatta of India D	RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide number G.S.R. 1632, dated the 29th August, 1968 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 329(E), dated the 30th June, 1973; G.S.R. 211(E), dated the 29th April, 1975; G.S.R. 52(E), dated the 30th January, 1976 and G.S.R. 389(E), dated the 10th June, 1981.